न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

223RTA2011-00013Ju2011-020 Modaram etc Vs Jagdish etc

---

1. मोडाराम पुत्र गोरखाराम (फौत) के कायममुकाम-
   1.1. जस्सी पुत्री मोडाराम पत्नी पीराराम जाति जाट
   निवासी रूपाणा जेताणा, तहसील लोहावट
   जिला जोधपुर
2. अणदाराम पुत्र गोरखाराम (फौत) के कायममुकामान-
   2.1. परसाराम पुत्र अणदाराम
   2.2. नरसाराम पुत्र अणदाराम
   2.3. बगताराम पुत्र अणदाराम (फौत) के कायममुकामान-
   2.3.1. लूणी पत्नी बगताराम
   2.3.2. गजेन्द्र पुत्र बगताराम
   2.3.3. रेणुका पुत्री बगताराम
   2.4. पुखराज पुत्र अणदाराम
   2.5. पृथ्वीराज पुत्र अणदाराम
   2.6. राजो पत्नी अणदाराम
   2.7. देवी पुत्री अणदाराम
   2.8. शान्ति पुत्री अणदाराम
   2.9. सुगनी पुत्री अणदाराम
   2.10. अणची पुत्री अणदाराम
   सभी जाति जाट, निवासीगण करणीनगर,
   लोहावट, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
3. मंगलाराम पुत्र गोरखाराम (फौत) के कायममुकामान-
   3.1. खेमाराम पुत्र मंगलाराम
   3.2. चूनाराम पुत्र मंगलाराम
   3.3. घेवरराम पुत्र मंगलाराम
   3.4. श्रवण पुत्र मंगलाराम
   3.5. दिलीप पुत्र मंगलाराम
   3.6. किरताराम पुत्र मंगलाराम
   3.7. जुगताराम पुत्र मंगलाराम
   3.8. कमला पुत्री मंगलाराम
   3.9. मांगी पुत्री मंगलाराम
   3.10. चैनी पत्नी मंगलाराम
   सभी जाति जाट, निवासी करणीनगर,
   लोहावट, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. जगदीश पुत्र जेठाराम की जगह राजुराम पुत्र बाबुलाल जाति जाट, निवासी मथानिया, तहसील तिंवरी,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जिला जोधपुर

2. गणेशाराम पुत्र सुखाराम (फौत) के कायममुकामान-
   2.1. जोराराम पुत्र गणेशाराम
   2.2. निखमाराम पुत्र गणेशाराम
   2.3. भूराराम पुत्र गणेशाराम
   2.4. सोनाराम पुत्र गणेशाराम
   सभी जाति जाट, निवासीगण रूपाणा जेताणा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
   2.5. धमकू पुत्री गणेशाराम पत्नी मदरूपाराम जाति जाट, निवासी पायलों की ढाणी, चुतरनगर, तहसील लोहावट जिला जोधपुर
   2.6. मेहनी पुत्री गणेशाराम पत्नी जगदीश जाति जाट, निवासी बेनीवालों की ढाणी, ग्राम रूपाणा जेताणा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
   2.7. अनु पुत्री गणेशाराम पत्नी तेजाराम जाति जाट, निवासी गोदारों की ढाणी, देवराज बाडा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
   2.8. अचना पुत्री गणेशाराम पत्नी मोहनराम जाति जाट, निवासी जाखडो की ढाणी, चेराई, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर
   2.9. गेरा पत्नी गणेशाराम जाति जाट, निवासी ग्राम रूपाणा जेताणा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
3. प्रतापाराम पुत्र अणदाराम जाति जाट
4. सिरदाराराम पुत्र माणकराम जाति जाट
5. माडू पुत्री माणकराम जाति जाट
   निवासीगण ग्राम रूपाणा जेताणा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
6. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार, फलोदी
   (वर्तमान तहसील लोहावट), जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 21 फरवरी 2011 राजस्व वाद संख्या 35/2005 जगदीश बनाम गणेशाराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो के कायम मुकाम संख्या 2/1 से 2/10 तक
श्री सांवलराम चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या चार
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या छः

नि र्ण य

दिनांक : 29 जुलाई, 2021

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2005 जगदीश बनाम गणेशाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 21 फरवरी 2011 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 04 मार्च 2011 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. जगदीश पुत्र जेठाराम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर आराजी खसरा संख्या 403 रकबा 34 बीघा 19 बिस्वा वाके मौजा रूपाणा जैताणा एवं खसरा संख्या 625 रकबा 119 बीघा 16 बिस्वा वाके मौजा लोहावट जाटाबास भूमि में से अपने ⅛ हिस्से बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 6 से 8 ने जबाबदावा पेश कर वादी के वाद का विरोध किया, अन्य प्रतिवादीगण की ओर से कोई जबाबदावा पेश नहीं हुआ। दावे एवं जबाब के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गयी और पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद दिनांक 14 जुलाई 2009 को तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादी-रेस्पो. का दावा स्वीकार कर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 14 जुलाई 2009 के खिलाफ प्रतिवादी गणेशाराम ने अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अपील प्रस्तुत की, जो अपील संख्या अपील/डिकी/जोधपुर 067/2009 अदालत हाजा द्वारा दिनांक 18 सितम्बर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2009 को आंशिक तौर पर स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार प्राथमिक डिकी जारी किये जाने और राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत बाई मीद्स एवं बाउण्ड्स वादग्रस्त भूमि के बंटवारे हेतु विभाजन प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार से मौके पर उभयपक्षकारान की उपस्थित में तैयार कराये जाकर तलब किये जाने और इस प्रकार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष की सुनवाई का विधिसम्मतः फाइनल डिकी जारी किये जाने हेतु रिमाण्ड किया गया।

अदालत हाजा के उक्त निर्णय दिनांक 18 सितम्बर 2009 के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 21 फरवरी 2011 पारित कर प्राथमिक डिकी जारी कर संबंधित तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये। उक्त निर्णय एवं डिकी दिनांक 21 फरवरी 2011 के खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत हाजा द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किये जाने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिये। अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी में दावे एवं जबाब के आधार पर कायम तनकियात के संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष पारित नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों व निर्धारित विधिक प्रकिया के खिलाफ और अदालत हाजा द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करते हुए दिये गये निर्देशों की पालना किये बिना ही पारित किये गये है, जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 14 जुलाई 2009 पारित करने के पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर समुचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया गया था, जिसके खिलाफ प्रस्तुत अपील का निर्णय करते हुए अदालत हाजा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये तनकीवार निष्कर्षों में कोई अनियमितता अथवा त्रुटि नहीं पायी और अपने निर्णय दिनांक 18 सितम्बर 2009 द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान की पुनः साक्ष्य सुनवाई हेतु कोई निर्देश भी नहीं दिया गया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान की पुनः साक्ष्य की आवश्यकता नहीं रही। इसके अलावा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान के हिस्से स्पष्ट वर्णित है और अपीलाण्ट की ओर से कोई काउण्टर क्लेम भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण भी पुनः साक्ष्य का अवसर दिये जाने की आवश्यकता नहीं रही। अदालत हाजा द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करते हुए दिये गये निर्देशों की भलीभांति पालना करते हुए ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का अनुरोध किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया, जिससे प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावे में प्रतिवादी-अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रेवंतसिंह पातावत एवं श्री मदनसिंह भाटी का वकालतनामा पेश हुआ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14 जुलाई 2009 में भी प्रतिवादी-अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रेवंतसिंह पातावत की उपस्थिति दर्ज की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2007 को दावे एवं जबाब के आधार पर तनकियात कायम की जाकर प्रकरण वादी-पक्ष की साक्ष्य हेतु मुकर्रर किया गया, वादी-पक्ष की साक्ष्य दिनांक 15 फरवरी 2008 को पूर्ण होने के बाद प्रकरण प्रतिवादी-पक्ष की साक्ष्य हेतु नियत किया गया, दिनांक 16 फरवरी 2009 तक सम्पूर्ण वर्ष की अवधि में प्रतिवादी-पक्ष को कई अवसर एवं अंतिम अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी-पक्ष की ओर से साक्ष्य पेश नहीं किये जाने पर दिनांक 16 फरवरी 2009 को साक्ष्य-प्रतिवादी बंद की गयी। जाहिर है कि प्रतिवादी-अपीलाण्ट को साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाने के बाद ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 14 जुलाई 2009 पारित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनरांक 14 जुलाई 2009 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील का निस्तारण करते हुए अदालत हाजा द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 18 सितम्बर 2009 में साफ तौर पर यह माना है कि प्रतिवादी-अपीलाण्ट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाने के बाद ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 14 जुलाई 2009 पारित किया गया है। अपने उक्त निर्णय में अदालत हाजा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14 जुलाई 2009 इस आधार पर खारिज कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में " .... नक्शे अनुसार एबीसीडी चिन्हित हिस्से अनुसार वादी जगदीश को ग्राम रूपाणा जैताणा के खसरा संख्या 403 रकबा 35-19 बीघा व ग्राम लोहावट जाटावास के खसरा संख्या 625 रकबा 119-16 बीघा भूमि में 1/8 भूमि का खातेदार कृषक घोषित करते हुए संलग्न नजरी नक्शा में मार्क एबीसीडी के अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा स्वीकार किया जाता है..."

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

लिखते हुए बिना प्राथमिक डिकी जारी किये एवं धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना ही बंटवारे का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा कर संबंधित प्रकरण का निस्तारण कर दिया। प्रकरण रिमाण्ड करते हुए अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 18 सितम्बर 2009 में अधीनस्थ न्यायालय को दिये गये निर्देशों में उभयपक्षकारान की पुनः साक्ष्य सुनवाई किये जाने बाबत कोई निर्देश नहीं दिया गया है। अपीलांट द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में दिनांक 18.05.2010 को वकालतनामा पेश कर दिया। उक्त अवधि में अपीलांट अपने 1/8 हिस्से से अधिक हिस्सा होने बाबत कोई आधार/साक्ष्य पेश नहीं कर पाया है। अद्यतन राजस्व रिकॉर्ड जबांदी में उसका 1/8 हिस्सा स्पष्टतः अंकित है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान की पुनः साक्ष्य की आवश्यकता नहीं रही और न ही इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 21 फरवरी 2011 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता एवं औचित्य नजर आता है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2005 जगदीश बनाम गणेशाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 21 फरवरी 2011 बहाल रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकी पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/7/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर